राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10–बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं. 2709827 / 2710072 फैक्स नं. 91–0141–2710072

दिनांक 01.07.2025 से 30.06.2026 की अवधि के लिए छात्रावास मैस में भोजन व्यवस्था हेतु ई–बोली

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम) द्वारा दिनांक 01.07.2025 से 30.06.2026 की अवधि के लिए छात्रावास मैस में भोजन व्यवस्था हेतु रजिस्टर्ड फर्मों, अनुमोदित सेवाप्रदाताओं से ऑनलाईन ईप्रोक्योरमेंट प्रक्रिया से सहमति प्रस्ताव के साथ टू बिड्स दिनांक 23.06.2025 को दोपहर 1:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। बिड को राजस्थान सरकार के पोर्टल www.eproc.rajasthan.gov.in पर BOQ Format में ही अंकित कर प्रस्तुत करनी होंगी। टू बिड पद्धति से बिड्स (तकनीकी एवं वित्तीय) मय मूल प्रपत्र, निविदा शर्तें एवं स्वीकृत दरें राइसेम की वेबसाईट www.ricem.org एवं sppp.rajasthan.gov.in एवं www.eproc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। तकनीकी बिड (प्रपत्र–अ) तथा वित्तीय विड प्रपत्र–ब में वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर सम्बन्धित दस्तावेजों सहित पूर्णतः भरी हुई PDF Format में अपलोड करनी चाहिए। विलम्ब से प्राप्त बिड्स पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

Bidders who wish to participate in online tenders should have legally valid Digital Certificate as per Information Technology Act 2000 procured through any of the licence certifying Authority of India using which they can sign their electronic bids.

प्राप्त बिड्स के प्रस्तावों में तकनीकी बिड को उपस्थित बोलीदाताओं के समक्ष दिनांक 23.06.2025 को अपरान्ह 3.00 बजे खोली जायेगी। तकनीकी बिड में सफल बोलीदाता की वित्तीय बिड को ही खोला जायेगा। किसी भी बिड या उसके किसी भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार राइसेम को होगा तथा इस संबंध में राइसेम का निर्णय ही अन्तिम व मान्य होगा। बोलीदाता द्वारा बिड्स प्रस्तुत करने का तात्पर्य यह होगा कि समस्त शर्तें बोलीदाता को स्वीकार है। बिड के साथ दो प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि बिड प्रपत्र में अंकितानुसार डीडी / बैंकर्स चैक / नकद / किसी अनुसूचित बैंक की गारन्टी, जोकि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 42 में वर्णित है द्वारा राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम), जयपुर के पक्ष में जमा करानी होगी। राजस्थान उद्योग विभाग में पंजीकृत लघु उद्योग इकाई को बोली प्रतिभूति राशि में लघु उद्योग संबंधी छूट लेने हेतु जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी लघु उद्योग संबंधी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति बिड के साथ अपलोड करनी होगी। इस प्रकार की इकाई को बिड सूचना में बताई गई अनुमानित राशि का आधा प्रतिशत बोली प्रतिभूति राशि राइसेम में उक्त वर्णित तरीकों से किसी एक द्वारा राइसेम के पक्ष में जमा करानी होगी, इसके अभाव में लघु उद्योग संबंधी छूट प्रदान नहीं की जायेंगी। बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बिड पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। सफल बोलीदाता को सेवाओं के 5 प्रतिशत के बराबर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 75 के अनुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा रजिस्टर्ड लघु उद्योग इकाई को सेवा के मूल्य के बराबर नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी तथा लिखित अनुबन्ध राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियमानुसार निर्धारित अवधि में करना होगा अन्य कोई सूचना प्राप्त करनी हो तो उक्त संबंध में संस्था के फोन 0141–2710072 एवं ई–मेलः jaipurricem@gmail.com पर संपर्क कर सकते हैं। बोली के सम्बन्ध में अन्य जानकारी राइसेम संस्था में किसी भी कार्य दिवस में ली जा सकती है।

बिड अनुबंध की वैधता अवधि अनुबंध होने की तिथि से 30.06.2026 तक होगी। राइसेम को अनुबंध अवधि समाप्त होने से पूर्व अनुबंध को खत्म करने का अधिकार होगा। इसमें किसी भी तरह का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

संलग्नः– बोली प्रपत्र एवं शर्तें।

निदेशक, राइसेम

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10–बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं. 2709827/2710072 फैक्स नं. 91–0141–2710072

प्रपत्र–'अ'

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम) में छात्रावास मैस में भोजन व्यवस्था अवधि 01.07.2025 से 30.06.2026 हेतु

:: तकनीकी ई–बोली प्रपत्र ::

बोली शुल्क रू. 1000/– (Non Refundable) (निदेशक, राइसेम) के नाम से देय– नकद/डी.डी/आरटीजीएस
प्रोसेसिंग फीस – 1500/– रूपये (एम.डी., आर.आई.एस.एल, जयपुर) के नाम से देय
बोली प्रतिभूति राशि रूपये 1,40,000/–(निदेशक, राइसेम) के नाम से देय– नकद/डी.डी/आरटीजीएस
बोली की अनुमानित राशि : 70 लाख रूपये
बोली सबमिशन समाप्ति तिथि एवं समय : 23.06.2025 दोपहर 1:00 बजे तक
बोली प्रतिभूति राशि, प्रोसेसिंग व टेण्डर फीस
का डी.डी. राइसेम में प्रस्तुत करने की तिथि : 23.06.2025 दोपहर 1:00 बजे तक
तकनीकी बोली खोलने की तिथि व समय : 23.06.2025 अपरान्ह 3:00 बजे

बोलीदाता का विवरण		
1.	बोलीदाता का नाम	
2.	बोलीदाता का स्थानीय पता (मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर)	
3.	बोलीदाता का स्थाई पता (मय टेलीफोन/मोबाईल नम्बर) साक्ष्य के लिए राशन कार्ड/मतदाता परिचय पत्र/पानी/टेलीफोन/बिजली के बिल की सत्यापित प्रति)	
4.	बोलीदाता को राजकीय उपकर्मों/राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों/स्वायत्त शासन संस्थान में मैस की सेवायें उपलब्ध कराने का अनुभव (प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करें) विगत 3 वर्षों की	
5.	शाप एक्ट/उद्योग विभाग/बिक्री विभाग आदि में रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र।	
6.	खाद्य विभाग/नगर निगम के नियमों के अन्तर्गत प्राप्त रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र।	
7.	बोलीदाता /फर्म का पेन नम्बर (फोटो प्रति संलग्न करें)	
8.	बोलीदाता/ जीएसटी नम्बर (फोटो प्रति संलग्न करें)	
9.	अन्य प्रमाण पत्र (फोटो प्रति संलग्न करें यदि कोई हो)	
10.	बैलेंस शीट, लाभ–हानि खाते (गत तीन वर्ष 2021–22 से 2023–24) के वार्षिक लेखो की प्रमाणित प्रतिलिपि)	
11.	गत तीन वर्षों (2021–22 से 2023–24) के आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि संलग्न करें	
12.	गत एक वर्ष का बैंक का स्टेटमेंट (दिनांक 31.03.2025 तक) संलग्न करें	
13.	बोली प्रपत्र हेतु रसीद संख्या एवं दिनांक	रसीद संख्या ..... दिनांक .....
14.	बोली प्रतिभूति राशि रूपये 1,40,000/– का विवरण	बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारण्टी/बैंकर्स चैक संख्या ..... दिनांक ..... बैंक का नाम ..... राशि .....

नोट :– उपरोक्तानुसार संलग्न सभी पत्रादि की फोटोप्रतियां स्वप्रमाणित होना आवश्यक है।

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10–बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं. 2709827 / 2710072 फैक्स नं. 91–0141–2710072

राइसेम छात्रावास की भोजन व्यवस्था हेतु ई–बोली व संविदा की शर्तें

सामान्य शर्तें :–

1. तकनीकी ईबोली के साथ बोली प्रतिभूति राशि 1,40,000/– रूपये बैंकर्स चैक/नगद रसीद/बैंक गारण्टी तथा इस तरह के व्यवसाय का तीन वर्ष (2022, 2023 एवं 2024) का अनुभव प्रमाण पत्र साक्ष्य स्वरूप देने होंगे। इसके अलावा फर्म को पिछले एक वर्ष का बैंक खाते का स्टेटमेंट भी देना होगा, जिसमें वार्षिक टर्न ओवर 70,00,000/– रूपये से कम का नही होना चाहिए। तकनीकी सुविधाओं से सुसज्जित फर्मों को प्राथमिकता दी जावेगी। फर्म का शॉप एक्ट/कम्पनी एक्ट/उद्योग विभाग/बिक्री कर विभाग में से किसी एक में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। तकनीकी बोलीदाताओं में सफल बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी।
2. बोलीदाता को खाद्य विभाग/नगर निगम के नियमों के अन्तर्गत प्राप्त रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र, बोली प्रपत्र के साथ लगाना होगा। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।
3. बोलियां उन फर्मों द्वारा ही दी जानी चाहिए जो मैस संचालन में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव रखते हो। तीन वर्ष के अनुभव हेतु किसी सरकारी विभाग/सरकारी संस्थान/निजी प्रतिष्ठित संस्था में किये गये कार्य का संतोषजनक अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
4. कोई भी फर्म/सेवादाता यदि उस राज्य में, जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, जी.एस.टी पंजीयन के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बोली नहीं दे सकेगा। जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन संख्या का उल्लेख करें (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)।
5. ई–बोली में प्रस्तुत प्रपत्रों की स्केन प्रति स्पष्ट व पठनीय स्थिति में अपलोड होनी चाहिए। जिसमें किसी प्रकार का उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जायेगी।
6. फर्म के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना अनुबन्धकर्ता फर्म द्वारा संस्थान को लिखित मे दी जावेगी, किन्तु परिवर्तन की स्थिति में भी संस्थान से हुए इस अनुबन्ध के संबंध में अनुपालना के दायित्व से मूल अनुबन्धकर्ता को विमुक्त नहीं किया जा सकेगा।
7. बोलीदाता को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अनुसार डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण–पत्र प्राप्त करने एवं इलेक्ट्रोनिक्स बिड में उक्त हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। बिना डिजीटल हस्ताक्षर कोई भी बिड ऑफर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
8. बोलीदाता द्वारा अंकित की गई कोई भी अतिरिक्त शर्त संस्थान को मान्य नहीं होगी। बोली शर्तो के विपरीत शर्त मान्य नहीं होगी तथा ऐसी बोली स्वीकार नहीं की जायेगी।
9. यदि बोलीदाता अपनी ओर से संविदा निरस्त करता है तो ऐसी स्थिति में यदि संस्थान को वैकल्पिक व्यवस्था करने में कोई अतिरिक्त धनराशि व्यय करनी पड़ेगी तो उसकी क्षतिपूर्ति का दायित्व अनुबन्धकर्ता/फर्म को होगा।
10. सेवादाता/अनुबन्धकर्ता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य

एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उपभाड़े पर नहीं देगा।

11. किसी भी बोली या बोली के भाग को बिना कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार संस्थान को होगा।

12. सफल बोलीदाता और राइसेम के मध्य छात्रावास मैस में भोजन व्यवस्था हेतु 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक वर्ष के लिए अनुबंध किया जावेगा जिसे दोनों पक्षों की सहमति से RTPP नियम के प्रावधानों के तहत बढाया जा सकेगा।

13. सफल बोलीदाता को अनुबंध हस्ताक्षरित करने से पूर्व राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता नियम 75 के अनुसार 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के रूप में वांछित राशि राइसेम के पास जमा करानी होगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को निम्न परिस्थितियों में समपहरण (Forfeit) किया जा सकता है :–

    (अ) जब संविदा के किसी निबंधन और शर्तों को भंग किया जाता है।

    (ब) जब बोलीदाता संतोषप्रद रूप से कार्य करने में विफल रहता है।

14. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की समस्त धारायें एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम मान्य/लागू होंगे।

15. फर्म को संस्थान के द्वारा देय भोजन का भुगतान पूर्ण संतुष्टि के बाद ही चैक द्वारा किया जावेगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा। संस्थान को नियमानुसार पुनर्भरण योग्य भुगतान होने पर आवश्यक प्रमाणीकरण के पश्चात् बिल पारित किये जा सकेंगे।

16. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

विशेष शर्तें

17. यदि भोजन, चाय, नाश्ता आदि मैनू के अनुसार तथा अच्छी किस्म का नहीं पाया गया तो अस्वीकार कर दिया जावेगा तथा प्रदायक को संस्थान की अपेक्षा के अनुरूप उचित समय के भीतर उसे बदलना होगा। इस हेतु प्रदायक को कोई अतिरिक्त मूल्य अथवा राशि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

18. किसी भी समय भोजन की व्यवस्था सुचारू व संतोषजनक रूप से न होने पर यदि आवश्यक समझा गया तो कार्य अनुबंध कर्ता फर्म के हर्जेखर्चे पर अन्य एजेन्सी/साधन से करवाया जायेगा तथा यदि इस व्यवस्था पर कोई अतिरिक्त व्यय संस्थान को वहन करना पड़ा तो वह राशि अनुबंधकर्ता फर्म से वसूली योग्य होगी।

19. अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा की जा रही भोजन व्यवस्था संस्थान की अपेक्षाओं के अनुरूप संतोषजनक न होने की स्थिति में संस्थान को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह इस अनुबंध को 7 दिन का पूर्व नोटिस देकर समाप्त कर दे।

20. राइसेम द्वारा पूर्ण संतुष्टि के पश्चात ही चैक द्वारा भुगतान किया जावेगा। किसी भी प्रकार का अग्रिम भुगतान देय नहीं होगा।

21. भोजन, चाय, व नाश्तें की किस्म में किसी भी प्रकार की कमी होने पर संस्थान को युक्तियुक्त कटौती करने का पूर्ण अधिकार होगा। कटौती के संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।

22. अनुबंधकर्ता फर्म के ठेकेदार एवं उसके कर्मचारी प्रशिक्षणार्थियों एवं संस्थान के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से शिष्ट व्यवहार करने के लिए बाध्य होंगे।

23. प्रशिक्षणार्थियों को दिया जाने वाला नाश्ता एवं भोजन कार्यक्रम समन्वयक द्वारा बताये गये मैनू के अनुसार ही तैयार किया जायेगा।

24. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निदेशक, राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राइसेम), जयपुर को निर्णय लेने का समस्त अधिकार होगा।

25. अनुबंधकर्ता फर्म के लिए यह आवश्यक होगा कि वह भोजन व्यवस्था के लिए लगाये गये कार्यकर्ताओं/वेटर्स की सूची मय सम्पूर्ण विवरण एवं नवीनतम फोटोग्राफ के 2 प्रतियों में इस संस्थान में अनुबंध करने के समय प्रस्तुत करेंगे। इसके पश्चात समय–समय पर होने वाले परिवर्तन की सूचना संस्थान प्रशासन को इसी प्रकार के विवरण के साथ उपलब्ध कराते रहेंगे।

26. अनुबंधकर्ता फर्म के वेटर्स उचित वर्दी में रहेगें। उक्त वर्दी का व्यय अनुबंधकर्ता फर्म को ही वहन करना पड़ेगा।

27. अनुबंधकर्ता फर्म को सामान्यतया जब तक संस्थान द्वारा कोई विशेष आदेश न दिए जावे, चाय, नाश्ते व खाने की व्यवस्था संस्थान/हॉस्टल परिसर में करनी होगी। भोजन गर्म व ताजा होना आवश्यक है।

28. अनुसूची ''जी'' में अंकित नाश्ते व भोजन के सभी मैनू में से कोई भी मैनू किसी भी दिन किसी भी समय देने के लिए बाध्य होगा। उक्त संदर्भ में प्रतिदिन संस्थान/पाठ्यक्रम समन्वयक द्वारा जो भी निर्देश कैटरर्स को दिए जावे वह उसे मानने के लिए बाध्य होगा।

29. संस्थान द्वारा प्रशिक्षण की पूर्व सूचना कैटरर्स को दी जावेगी। तत्पश्चात कैटरर्स का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रशिक्षण की निर्धारित तिथि से एक दिन पूर्व पाठ्यक्रम समन्वयक से व्यक्तिगत सम्पर्क कर सहभागियों की संभावित संख्या ज्ञात करें। यद्यपि सहभागियों की सही संख्या प्रशिक्षण दिनांक को 11.30 बजे ही बतलाई जावेगी।

30. यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से निर्धारित तिथि को प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थगित करना पडता है और इस कारण कोई सामग्री बनी हुई खराब होती है तो इसकी जिम्मेदारी संस्थान की नहीं होगी।

31. भोजन व्यवस्था में शेष बची सामग्री को किसी भी दशा में पुनः उपयोग में लिये जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

32. समस्त दरें जीएसटी सहित होनी चाहिए।

33. निश्चित दिनांक एवं समय के पश्चात् प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

34. बोलीदाता को बिड प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ व अन्त में बिड एवं अनुबन्ध की शर्तों को मानने के प्रमाण में हस्ताक्षर करने चाहिए।

35. बोलीदाता द्वारा संस्था को विलम्ब से आपूर्ति करने पर निम्नानुसार शास्ति लगाने का पूर्ण अधिकार संस्था प्रशासन को होगा जिसकी कटौती बोलीदाता फर्म के पूर्व बिलों में से अथवा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में से काटकर समायोजित कर ली जावेगी:–

(क) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए,	**2.5 %**
(ख) विहित परिदान अवधि की एक चौथाई से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए,	**5 %**
(ग) विहित परिदान अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनाधिक के विलम्ब के लिए,	**7.5 %**
(घ) विहित परिदान अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए,	**10 %**

36. फर्म को पंजीकृत प्रमाण–पत्र एवं मालिक/साझेदार का नाम व पूर्ण विवरण प्रपत्र एस.आर. 11 में प्रतिष्ठान/कम्पनी के लेटर हेड पर प्रस्तुत करना होगा।

37. भुगतान योग्य बिलों पर नियमानुसार टी.डी.एस. काटा जायेगा।

38. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं नियम 2013 में दर्शाये गये नियमों के उल्लंघन पर राइसेम को नियमानुसार कार्यवाही का अधिकार होगा।

39. सशर्त बिड स्वीकार नहीं की जायेगी।

40. बोली सक्षम बोलीदाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा ही प्रस्तुत की जावेगी।

41. किसी न्यायिक विवाद की दशा में न्यायाधिकार क्षेत्र जयपुर शहर स्थित न्यायालय में होगा।

42. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अन्य सभी संगत प्रावधान लागू होंगे।

हमने उक्त बिड्स शर्तें पूर्ण रूप से पढ ली हैं तथा हम उक्त सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्य होंगे।

एस.आर प्रारूप – 11

बोलीदाताओं की घोषणा

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी कार्य सम्पादन प्रतिभूति को पूर्ण रूप से सहपहृत का किया जा सकेगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

हस्ताक्षर बोलीदाता के मय मोहर

संस्था द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाली सुविधाऐं निम्न प्रकार रहेगी

I. नाश्ते, चाय व भोजन में काम आने वाली "क्रॉकरी"एवं "पकाने के बर्तन" आदि व्यवस्था संस्थान द्वारा की जायेगी एवं ईधन की व्यवस्था स्वयं अपनी लागत पर अनुबंधकर्ता फर्म को करनी होगी। कैटरर्स द्वारा खाना बनाने एवं खिलाने पिलाने के बर्तन व क्रॉकरी साफ सुथरे रहने चाहिए। कैटरर्स को प्रशिक्षणार्थियों को सुव्यवस्थित तरीके से खिलाने पिलाने हेतु उचित वेटर्स की व्यवस्था करनी होगी।

II. संस्थान द्वारा खाना बनाने के लिए स्थान तथा खाना खाने के लिए कुर्सी, टेबल आदि फर्नीचर उपलब्ध कराया जावेगा। उक्त फर्नीचर को साफ सुथरा व नियत स्थान पर रखने की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता फर्म की होगी। उक्त फर्नीचर में किसी प्रकार की टूटफूट होने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी फर्म की रहेगी। हॉस्टल में कैन्टीन के स्थान का कैटरर्स को वाणिज्यिक उपयोग करने अथवा सबलेट करने की अनुमति नहीं होगी। कैन्टीन में तैयार माल को बाहर बिक्री हेतु लाने व ले जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी। कैटरर्स द्वारा चाय, नाश्ता व भोजन संस्थान में ही बनाया जावेगा। बाहर से बनाकर लाया गया भोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा। खाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री का अवलोकन संस्थान के अधिकारी द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है। अधिकारी खाने की किसी भी वस्तु/सामग्री की उचित जांच एवं परीक्षा करने/कराने के लिए सक्षम होगा। संस्थान के हॉस्टल में कैटरर्स का उपस्थित रहने का समय प्रातः 5.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक रहेगा। सामान्य परिस्थितियों में प्रशिक्षण अवधि में निम्न प्रकार से भोजन व्यवस्था करनी होगी:–

1.	सुबह की चाय/दूध	–	प्रातः 6.00–7.00 बजे हॉस्टल के कमरे में
2.	नाश्ता	–	प्रातः 8–9 बजे हॉस्टल में
3.	दूसरी चाय/कॉफी	–	प्रातः 11.30 बजे संस्थान में
4.	दोपहर का भोजन	–	दोपहर 1.00बजे से 2.00 बजे तक हॉस्टल में
5.	तीसरी चाय/कॉफी	–	सांय 3.30 बजे संस्थान में।
6.	चौथी चाय	–	सांय 5.30 बजे से 6.30 बजे तक हॉस्टल में
7.	रात्रि भोजन	–	रात्रि 8.00 बजे से 9.30 बजे हॉस्टल में।

उक्त समय प्रशिक्षण की साधारण व्यवस्था के अनुसार है परंतु समय में किसी भी परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार संबंधित प्रभारी अधिकारी/पाठ्यक्रम निदेशक को होगा

III. कैटरर्स को संभलाये गये स्थान एवं उस स्थान पर लगे हुए उपकरणों व बिजली उपकरणों को यदि किसी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो उस पर हुआ व्यय कैटरर्स से वसूली योग्य होगा। अधिकतर तुरंत व्यवस्था हेतु कैटरर्स को टेलीफोन पर सूचित किया जावेगा। अतः कैटरर्स के यहां स्वयं का टेलीफोन/मोबाईल फोन होना अनिवार्य है।

IV. कैटरर्स द्वारा खाना बनाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री को रखने हेतु संस्थान द्वारा एक कमरा उपलब्ध कराया जावेगा, जिस पर कैटरर्स संस्थान की लिखित स्वीकृति के पश्चात् अपना ताला लगा सकेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अतिरिक्त संस्थान द्वारा जब कभी भी एक, दो, अथवा संस्थान के हॉस्टल मे रह रहे मेहमानों की संख्या के अनुसार भोजन व्यवस्था हेतु आदेश दिया जावेगा तो कैटरर्स की इस हेतु निर्देशानुसार चाय, नाश्ता एवं भोजन की व्यवस्था करनी होगी। संस्थान में जिन कैटरर्स का कार्य एवं भोजन व्यवस्था पूर्व के वर्षों में संतोषजनक नहीं रही है, उन फर्मों की बोलियां बिना कारण बताये निरस्त की जा सकती हैं एवं इस संबंध में संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा। प्रशिक्षण काल के दौरान विशेष परिस्थितियों में सहभागी द्वारा यदि चाय, दूध की अतिरिक्त मांग की जाती है, तो उसे तत्काल उपलब्ध करा कर उसके पश्चात् पाठ्यक्रम निदेशक से अनुमोदन करा लिया जावे। हॉस्टल के कमरों को किसी अन्य को देने की स्थिति में ठहरने वाले मेहमानों को डाइनिंग हॉल में खाने की व्यवस्था संस्थान की अनुमति के बिना नहीं की जावे। इनके द्वारा डाइनिंग हॉल का उपयोग करने पर निर्धारित राशि के अतिरिक्त राशि का निर्धारण संस्था द्वारा किया जाकर वसूला जावेगा एवं उक्त राशि संस्था में जमा करानी होगी। खाने में प्रयोग ली जाने वाली मौसमी सब्जी व दालों का मैनू भी केटर्स को समय–समय पर अनुमोदन कराना होगा। सब्जी की ग्रेवी भी दोपहर व रात्रि भोजन की अलग–अलग होनी चाहिए। भोजन

व्यवस्था में शेष बची सामग्री को किसी भी दशा में उपयोग में लिए जाने की अनुमति नहीं दी जावेगी। संस्थान के भोजन की गुणवत्ता की जांच खाद्य विभाग/नगर निगम/प्रतिनिधि एजेन्सी से भी करवाये जाने का अधिकार होगा। मिलावट/खराबी पाये जाने पर संबंधित एजेंसी कार्यवाही करेगी एवं संस्था भी उसमें पूर्ण सहयोग करेगी। संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों को चाय/कॉफी मांगने पर देय होगी, जिसके लिए प्रतिदिन कैटरर्स का व्यक्ति कैन्टीन में उपलब्ध रहेगा। सर्विस टैक्स के नंबर व जमा कराने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही टैक्स देय होगा।

V. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई. करवाने/सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मैस में कार्यरत केटर्स स्टाफ का उक्त कार्य से संबंधित समस्त वैधानिक एवं कानूनी दायित्व संबंधित बोलीदाता का रहेगा। संस्था उक्त कार्य के लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेवार नहीं रहेगी।

मैंने/हमनें उपरोक्त शर्तें अच्छी तरह पढ़ ली हैं तथा मैं/हम इसकी पालना करने हेतु पूर्णतः सहमत हूँ/हैं।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
व नाम तथा फर्म का नाम व पता

बोलीदाता द्वारा घोषणा पत्र

मेरे/हमारे द्वारा प्रदत्त बिड संख्या ..... दिनांक ..... के अन्तर्गत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा के अन्तर्गत एतद् घोषणा की जाती है :–

1. यह कि राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम) को प्रस्तुत उक्त बिड्स से सम्बन्धित समस्त प्रकार के व्यावसायिक, तकनीकी, आर्थिक एवं प्रबन्धकीय संसाधन आदि मेरे/हमारे पास उपलब्ध हैं।
2. यह कि मैं/ हम केन्द्र और राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा किसी भी प्रकार के देय करों की अदायगी के लिये बाध्य रहूँगा/रहेंगे।
3. यह कि मैं/हम किसी न्यायालय अथवा न्यायिक अधिकारी, आदाता द्वारा दिवालिया आदि घोषित नहीं हूँ/हैं और न ही उक्त कारणों से किसी प्रकार की कोई कार्यवाही विचाराधीन है।
4. यह कि विगत 3 वर्षों में मैं/हम और हमारे निदेशक व अधिकारियों में से कोई व्यावसायिक गतिविधि के कारण किसी आपराधिक गतिविधि में सजायाफ्ता नहीं हूँ/हैं और ना ही किसी प्रकार के गलत तथ्यों व झूठी घोषणाओं के कारण निर्योग्य किये गये हैं।
5. यह कि मेरे/हमारे द्वारा बिड प्रपत्र ध्यानपूर्वक पढ लिया गया है और मैं/हम इसकी शर्तों/नियमों से पूर्णतया सहमत हूँ/हैं, जिसको मानने के प्रमाण स्वरूप समस्त प्रपत्रों पर हस्ताक्षर अंकित कर दिये हैं।
6. यह कि मैं/हम उक्त अधिनियम, नियम व बिड्स की शर्तों से विपरीत कोई धारणा नहीं रखते हैं।

दिनांक : .....

स्थान : .....

हस्ताक्षर बोलीदाता

नाम.....

पद.....

पता.....

.....

मो0नं0.....

राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबन्ध संस्थान (राईसेम)

10-बी, झालाना संस्थागत क्षेत्र, झालाना डूंगरी, जयपुर
फोन नं. 2709827/2710072

प्रपत्र-'ब'

भोजन व्यवस्था के सबंध में संस्थान की दरों का विवरण
(ई-वित्तीय निविदा)

अनुसूची "जी"

क्र.सं.	मेन्यू का नाम	विवरण	राशि (रू.) निविदाता द्वारा भरे जाने हेतु
01.	**नाश्ता (ब्रेकफास्ट)** 1. दूध 250 एमएल (सरस/अमूल) 2. कॉर्नफ्लेक्स (मोहन, कैलोग्स, पतंजलि) 3. चाय/कॉफी 4. ब्रेड, बटर (सरस/अमूल) 5. जैम (किसान) 6. ऑमलेट/बॉइल्ड एग 7. कटलेट/पोहा/परांठा-दही/पूड़ी-आलू/छोला-भटूरा/पाव-भाजी/ इडली-सांभर/उपमा/मसाला डोसा/ चाऊमीन/पास्ता (कोई एक) (प्रत्येक दिवस अलग-अलग)		
02.	**प्रशिक्षण के दौरान चाय (मॉर्निंग व ईवनिंग)** चाय और कॉफी बिस्किट/कुकीज		
03.	**हाई टी** चाय, कॉफी, ग्रीन टी (शुगर क्यूब सहित) (कोई एक) चीज सैंडविच/खाण्डवी/पनीर पकौडा (कोई एक) वेफर्स/कुकीज (कोई एक) काजू कतली/बंगाली स्वीट/मावे की बर्फी/ केसर बर्फी/काजू रोल (कोई एक)		
04.	**लंच/डिनर (सामान्य)** 1. सूप (टमाटर/वेजीटेबल/स्वीट एण्ड सावर/स्वीट कोर्न) (कोई एक) 2. ग्रीन सलाद (प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, खीरा, नींबू) 3. पनीर की सब्जी (शाही पनीर/कड़ाही पनीर/पनीर बटर मसाला/पनीर लबाबदार/हांडी पनीर/पनीर कोरमा/मटर पनीर/पालक पनीर) (कोई एक) 4. सीजनल वेजीटेबल (भिण्डी/गोभी/आलू मटर/जीरा आलू/भरवां बैंगन/ मिक्स वेजीटेबल/स्टफ टमाटर/आलू- शिमला मिर्च/लौकी कोफ्ता/बैंगन भर्ता) (कोई एक) 5. दाल (दाल मखनी/दाल तड़का/दाल फ्राई)/चना मसाला/ राजमा/छोला/कढ़ी पकौड़ा (कोई एक) 6. चावल (वेजीटेबल पुलाव/जीरा राईस/मटर पुलाव) (कोई एक) 7. रायता (वेजीटेबल/बूंदी/बथुआ)/दही (कोई एक) 8. रोटी (तवा)-बटर व प्लेन 9. पापड (प्लेन/रोस्टेड) 10. अचार 11. स्वीट (खीर/गुलाब जामुन/मालपुआ/जलेबी-रबड़ी/मूंग की दाल का हलवा/गाजर का हलवा) (कोई एक) (मौसम के अनुसार) 12. सौंफ/सुपारी एवं क्रिस्टल चीनी		
05.	**स्पेशल लंच/डिनर (वेज)**		

	1. सूप-वेज (टमाटर/वेजीटेबल/स्वीट एण्ड सावर/स्वीट कोर्न) (कोई एक) 2. सलाद-ग्रीन व रशियन सलाद 3. पनीर की सब्जी (शाही पनीर/कड़ाही पनीर/पनीर बटर मसाला/पनीर लबाबदार/हांडी पनीर/पनीर कोरमा/मटर पनीर/पालक पनीर) (कोई एक) 4. मलाई कोफ्ता/चिली पनीर/मखमली कोफ्ता/मेथी मटर मलाई/मटर मषरूम/पालक बेबीकोर्न/नवरतन कोरमा/कश्मीरी-दम-आलू (कोई एक) 5. चावल (काजू पुलाव/कशमीरी पुलाव/वेज बिरयानी) (कोई एक) 6. दाल (दाल मखनी/दाल तड़का/दाल फ्राई)/चना मसाला/ राजमा/छोला/कढ़ी पकौड़ा (कोई एक) 7. रायता (पाईनएपल)/मिक्स फ्रुट क्रीम/दही बड़ा-चटनी (कोई एक) 8. रोटी (तवा, मिस्सी, तन्दूरी व नान)-बटर व प्लेन 9. पापड (रोस्टेड/मसाला) 10. स्वीट (खीर/गुलाब जामुन/मालपुआ/जलेबी-रबड़ी/मूंग की दाल का हलवा/गाजर का हलवा/मुंगथाल/फ्रुट कस्टर्ड) (कोई एक) 11. आईसक्रीम (बटर स्कॉच/काजू-पिस्ता/अमेरिकन नट/वनीला/(वाडीलाल/अमूल/हेवमोर/मदर डेयरी) 12. सौंफ/सुपारी एवं क्रिस्टल चीनी		
06.	**स्पेशल लंच/डिनर (नॉन वेज)** ग्रेवी चिकन (मसाला/तन्दूरी)/मटन (रोगन जोश/मसाला/कोरमा) (कोई एक) शेष उपरोक्त बिन्दु संख्या 05 के अनुसार		
07.	**स्पेशल** दाल, बेसन गट्टा, कढ़ी, बाटी (सादा व मसाला) चूरमा (गेहूं व बेसन) मिर्च के टपोरे, चावल, सलाद, अचार, पापड़, नींबू, सौंफ व शक्कर		
08.	**पैक्ड लंच/डिनर** 10 पूड़ी/4 परांठे, पनीर की सब्जी, सीजनल वेजीटेबल, अचार, पुलाव, दही, स्वीट		

नोटः- बोलीदाता वित्तीय निविदा में अपनी दरें राजस्थान सरकार के पोर्टल www.eproc.rajasthan.gov.in पर BOQ Format में ही Submit करें। समस्त दरें जीएसटी सहित होनी चाहिए।

नोट: (क)

1. सभी प्रकार के मीनू में चावल बासमती, रिफाइण्ड तेल, आटा, मसाले एवं अन्य भोजन सामग्री fssai/ आईएसआई/एगमार्क के ही प्रयोग में लिये जावेंगे। रोटी/चपाती देशी घी में चुपडी हुई दी जावे।
2. भोजन हेतु fssai/ आईएसआई मार्क/एगमार्क का आटा काम में लिया जाना होगा।
3. भोजन हेतु तेल एगमार्क/ fssai/ आईएसआई मार्क रिफाइंड होगा।
4. भोजन के साथ मिठाई का पीस 50-60 ग्राम का होना आवश्यक होगा।
5. सब्जी ताजा व अच्छी किस्म की, पनीर ताजा प्रयोग किया जावे।
6. दूध, दही ताजा एवं प्रतिष्ठित डेयरी के प्रयुक्त करने होगें।
7. मसाले उत्तम किस्म के, fssai/ एगमार्क हो उपयोग में लाने होंगे।
8. अन्य सामग्री भी अच्छी गुणवता की उपयोग में लानी होगी।

(ख) सफल बोलीदाता का निर्धारण वित्तीय बोली में प्रस्तुत कुल दर के आधार पर लिया जावेगा।

1. निर्णय कुल दर के आधार पर लिया जावेगा।
2. भुगतान प्रति उपयोग (यथा चाय अथवा लंच अथवा डिनर अथवा ब्रेकफास्ट, जो भी स्थिति हो) के हिसाब से किया जावेगा।